भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2458

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2023 को दिया गया

नई बिजली नीति का क्रियान्वयन

2458. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ऊर्जा पर स्थायी समिति की 35वीं रिपोर्ट में सिफारिश के अनुसार देश में एक नई बिजली नीति बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो नीति के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति तैयार करते समय राज्य सरकारों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों से परामर्श किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने दिनांक 12.02.2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी 35वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि केन्द्र सरकार एक नई राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) प्रकाशित करे। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय द्वारा एनईपी का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री गिरीश बी. प्रधान, पूर्व-अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नई विद्युत नीति का विजन वित्तीय रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरणीय रूप से स्थिर विद्युत क्षेत्र द्वारा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और उचित मूल्य पर विश्वसनीय 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदान करना है। एनईपी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

i. हमारे देश के विकास के साथ-साथ बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में निवेश सुनिश्चित करना
ii. कार्बन रहित करना
iii. रेजिलिएंट और फ्लैक्सिबल ग्रिड
iv. विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता
v. उपभोक्ता केन्द्रित दृष्टिकोण

(ख) और (ग) : एनईपी का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सभी हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया था। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुसरण में एनईपी, 2023 के प्रारूप को राज्यों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। एनईपी, 2023 के प्रारूप में सीईए एवं राज्यों से प्राप्त सुझावों पर उपयुक्ततः विचार किया गया है।

****